अप्रार्थी:— तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित —

प्रार्थी की ओर से — अधिवक्ता श्री अमरसिंह भाटी।

अप्रार्थी की ओर से— सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

—ःनिर्णयः—

दिनांकः—27/1/21

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि— प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 136 रकबा 1.6754 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 137 रकबा 1.6916 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138 रकबा 7.8023 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 139 रकबा 1.0522 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 139/1 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 140 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141 रकबा 1.0279 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर कुल खसरा 8 कुल रकबा 14.5283 हैक्टेयर ग्राम सिल्ली, पटवार हल्का किंजरी, तहसील ओसियां, की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम पोकरराम पुत्र उरजाराम दर्ज है। लेकिन प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम गिरधारीराम है तथा उरजाराम प्रार्थी के दादा का नाम है। उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूलवश पोकरराम पुत्र उरजाराम दर्ज कर दिया जो गलत है। प्रार्थी के तमाम दस्तावेज, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में पिता का नाम गिरधारीराम दर्ज है साथ ही अन्य खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 108/12 व 108/4 ग्राम सिल्ली के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गिरधारीराम दर्ज है। उक्त राजस्व रेकर्ड में त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई है। जो वर्तमान में उसी अनुसार दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि सुधारने बाबत् हल्का पटवारी व तहसीलदार ओसियां को निवेदन किया लेकिन उन्होंने त्रुटि सुधारने से मना कर दिया तथा त्रुटि सुधारने बाबत् उपखण्ड अधिकारी ओसियां से आदेश लेने हेतु कहा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

खसरा नम्बर 136 रकबा 1.6754 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 137 रकबा 1.6916 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138 रकबा 7.8023 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 139 रकबा 1.0522 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 139/1 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 140 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141 रकबा 1.0279 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर कुल खसरा 8 कुल रकबा 14.5283 हैक्टेयर ग्राम सिल्ली, पटवार हल्का किंजरी, तहसील ओसियां के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम पोकरराम पि. उरजाराम दर्ज है जो गलत है इसके स्थान पर वास्तविक नाम पोकरराम पि. गिरधारीराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम पोकरराम पुत्र उरजाराम के स्थान पर पोकरराम पुत्र गिरधारीराम दर्ज किया जाना उचित है।

यह है कि बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम गिरधारीराम है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 136 रकबा 1.6754 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 137 रकबा 1.6916 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138 रकबा 7.8023 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 139 रकबा 1.0522 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 139/1 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 140 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141 रकबा 1.0279 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर कुल खसरा 8 कुल रकबा 14.5283 हैक्टेयर ग्राम सिल्ली, पटवार हल्का किंजरी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में का नाम पोकरराम पुत्र उरजाराम के स्थान पर पोकरराम पुत्र गिरधारीराम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 27/1/21 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner